न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की ता... हुए
	नारायण बनाम पब्लिक मु.नं.– 06/25 किस्म – T.D.	
	श्री बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्र.पत्र T.D. दिनांक 12.2.26 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
12.2.26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
06/2025	17.01.2025	12.02.2026

बउनवान

1. नारायण पुत्र सुवालाल, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. रामखिलाडी पुत्र सुवालाल, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. रामसिंह पुत्र सुवालाल, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. पप्पू पुत्र रामकिशन, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. हरिओम पुत्र रामकिशन, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. खुशीराम पुत्र विश्राम, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
4. गीता देवी पत्नी रामकिशन, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
5. उर्मिला पत्नी विश्राम, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
6. हरिकिशन पुत्र ख्यालीराम, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री लीलाराम मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 01 लगायत 06 – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में खतौनी संख्या नई 59 के खसरा सं. 54, 55, 624, 674, 72, 73, 77, 81 कुल किता 08 कुल रकबा 1.01 हैक्टे. स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जिससे अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा प्रार्थीगण निहायत ही गरीब व्यक्ति है तथा काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की गरीबी व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुये प्रार्थीगण की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने पर आमादा हो रहे है तथा ऐलानियां धमकी दे रहे है कि प्रार्थीगण की उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके रहेगे एवं पुख्ता निर्माण करके कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करके नाकाबिल काश्त कर देंगे तथा प्रार्थीगण को काश्त नही करने देंगे तथा प्रार्थीगण को उनकी भूमि पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आने जाने भी नहीं देगे। यदि भूमि पर आये तो जान से मार देगे तथा फसल भी नहीं बोने देगे। अप्रार्थीगण धमकी दे रहे है कि हम प्रार्थीगण की भूमि पर हर सूरत में कब्जा करके रहेगे। अप्रार्थीगण दिनांक 15.12.2024 को एक राय होकर हाथो में लाठी डण्डे लेकर व ट्रेक्टर लेकर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन बजरी पत्थर डालने के लिये आ गये व कब्जा करना शुरू कर दिया। प्रार्थीगण ने मना किया तो जान से मारने को आमादा हो गये, बडी मुश्किल से आस पास के लोगो ने समझा बुझाकर अप्रार्थीगण को वापिस किया। फिर भी अप्रार्थीगण ने धमकी दी है कि हम शीघ्र ही प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करके निर्माण करके रहेगे तथा प्रार्थीगण की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके रहेगे। प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने देगे। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर से सम्भव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बरबादी प्रार्थीगण होगे। ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा के और कोई चारा नजर नही आया। इस कारण दावा हाजा पेश करना लाजिम आया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जाये कि अप्रार्थीगण स्वय या अपने नौकरो एजेन्टो घरवालो या अन्य मददगारान के उक्त विवादित आराजीयात में अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, प्रार्थीगण को कार काश्त करने में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा करने से, प्रार्थीगण को फसल बोते समय काटते समय किसी भी प्रकार का झगडा फिसाद करने से, पेड पोधो को खोदने से काटने से पांबद रहे। मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 06 के द्वारा न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(क) किसी सम्पत्ति का, जिसकी ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। इस प्रार्थना पत्र से संबंद्व वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। विवादित आराजीयात पर वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी या निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के उपयोग पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बैजूपाडा, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 54, 55, 624, 674, 72, 73, 77, 81 कुल किता 08 कुल रकबा 1.01 हैक्टे. के संबंध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थीगण के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 12.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)